

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग (भरतपुर)

व इजलाश श्री राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्र0सं0 46/15 रैफरैन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कामां

—प्रार्थी

बनाम

1 जुहरवी पत्नी श्यौदान 2. सुलतान पुत्र भूपसिंह 3 इस्साइल 4 इस्सर 5. खुर्शीद 6. रूकमान 7. जानमौहम्मद पिसरान श्यौदान 8. आसीया 9 सकीला पुत्रियान श्यौदान जातियान मेव निवासीयान जुरहरी तहसील कामां जिला भरतपुर।

—अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956एवं धारा 232राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955बावत,जनहित रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 अवैधानिक खातेदारी भूमि आ० ख०न० 1543/6 रकबा 0.05 वाके ग्राम जुरहरी तहसील कामां जिला भरतपुर (राज०)

निर्णय

दिनांक 14.12.2016

यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार तहसील कामां जिला भरतपुर के द्वारा जन हित रिट याचिका संख्या 1536/2003 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 02.08.2004 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र संख्या एफ.1535/2003/राम/2004 दिनांक 20.12.04 के निर्देशानुसार 15 अगस्त सन 1947 की स्थिति वहाली हेतु अप्रार्थियान के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 82 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत बाधित एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि ख०न० 1543/6 रकबा 0.05 गै०मु० पोखर वाके ग्राम जुरहरी तहसील कामां जिला भरतपुर का अप्रार्थियान को किया गया आवंटन एवं सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 484 व 2661 (विरासत) अवैधानिक होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थियान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थियान उपस्थित अदालत नहीं आए। बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कहा है कि "विवादित आराजी अप्रार्थी को आवंटन से पूर्व गैर मुमकिन पोखर जमाबन्दी सम्वत् 2003 एवं इसके पश्चात राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन पोखर की भूमि पर खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते हैं। गैर मुमकिन पोखर की भूमि को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन या खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। उन्होंने अपनी बहस में यह भी कहा है कि मा० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में

प्रमाणित चित्र प्रतिलिपि

F:/Monthlymap/Faishla

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर)

(अतिरिक्त जिला कलक्टर)

राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु

...2...

राजस्थान सरकार बनाम जुहरवी वगैराह मु० सं० 46/15 रैफरैन्स


पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में ऐसी भूमियों की दि. 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश दिया गया है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि रैफरैन्स स्वीकार कर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन एवं उसकी पालना में तस्दीक नामान्तरकरण भी निरस्त किये जावें तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर पुनः राजकीय गैर मुमकिन पोखर राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।”

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा बहस पैरोकार सरकार का अवलोकन/मनन किया गया।

जन हित रिट याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 के परिप्रेक्ष्य एवं माननीय निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर के पत्र संख्या एफ.1535/2003/राम/2004 दि 20.12.04 के निर्देशानुसार 15 अगस्त सन 1947 की स्थिति वहाली हेतु अप्रार्थीयान के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 82 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत बाधित एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि आ०ख०न० 1543/6 रकबा 0.05 अज किश्म गै०मु० पोखर वाके ग्राम जुहरही तहसील कामां का अप्रार्थीयान को किया गया आवंटन एवं सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 484, 2661(विरासत) अवैधानिक होने के फलस्वरूप वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज को निरस्त कर 15 अगस्त 1947 की स्थिति अनुसार भूमि का इन्द्राज किये जाने के सक्षम आदेश पारित किये जाने हेतु पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर को प्रस्तुत किया जाना उचित है।


अतः आदेश है कि :-


रैफरैन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1543/6 रकबा 0.05 अ०कि० गैरमुमकिन पोखर वाके ग्राम जुहरही तहसील कामां जिला भरतपुर के जो इन्द्राज ना० सं० 484, 2661 (विरासत) से हो रहे हैं। उन्हें निरस्त कर राजकीय भूमि गै०मु० पोखर घोषित करने हेतु मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर को प्रेषित की जाती है।


(राजवीर सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.12.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमाणित चित्र प्रतिलिपि


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर)


(राजवीर सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज.